राजस्थान की नवजागृति में अलवर के महाराजा जयसिंह का योगदान

* नितिन चौधरी

शोध सारांश

भारत के इतिहास में 19वीं–20वीं शताब्दी नवजागृति की दृष्टि से महत्वपूर्ण रही है। नवजागृति की इस लहर से अलवर राज्य भी प्रभावित हुए बिना नहीं रहा। अलवर में नवजागृति का श्रेय तत्कालीन शासक महाराजा जयसिंह को जाता है। जयसिंह स्वतन्त्र प्रवृत्ति के शासक थे। उन्होंने ब्रिटिश प्रभाव को कोई विशेष स्थान अपने राज्य में नहीं दिया यद्यपि अंग्रेज उनके मित्र थे। इस काल में अलवर की जनता का शैक्षणिक, सामाजिक, धार्मिक व राजनीतिक आदि प्रत्येक क्षेत्र में अद्वितीय विकास हुआ। साथ ही उनके शासनकाल में राष्ट्रीय भावना का भी विकास हुआ।

शैक्षणिक प्रगति

शिक्षा के विकास के लिए महाराजा जयसिंह ने अनेक महत्वपूर्ण कार्य किये। जिनमें हिन्दी भाषा को प्रोत्साहन, धार्मिक शिक्षा का महत्व, निःशुल्क शिक्षा का प्रारम्भ, सैनिक शिक्षा, उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्तियाँ आदि महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र में महाराजा जयसिंह द्वारा सर्वप्रथम 'हिन्दी भाषा' को प्रोत्साहन देने की नीति अपनाई गई। अलवर के इतिहासकार पिनाकी लाल जोशी ने अपने 'अलवर के इतिहास' (ठववा) में लिखा था कि ''श्री अलवरेन्द्र ने दिसम्बर, 1908 में अपने राज शासन दरबार के शुभ अवसर पर हिन्दी के सम्बन्ध में जो विचार प्रकट किये और उर्दू हटाकर समस्त राज्य कार्यालयों में हिन्दी को स्थान दिया यह भी श्री गुरू महाराज के सद् उपदेश का फल था। जयसिंह ने 1908 में अध्यादेश जारी करके राष्ट्रभाषा हिन्दी को राजकीय भाषा घोषित कर दिया। जयसिंह चाहते थे कि जनता में अपनी मातृभाषा के प्रति जागृति आये ताकि उनमें चेतना का विकास हो सके। 05 जनवरी, 1921 को आज्ञा पत्र तथा गजट द्वारा यह आदेश दिया गया था कि, ''हिन्दी वर्णमाला का ही नहीं वरन् शुद्ध और सरल भाषा का भी प्रयोग किया जाये।'' 22 मई, 1927 को राजकीय कर्मचारियों को आदेश दिया गया था कि वे एक वर्ष के भीतर 'हिन्दी भाषा' की परीक्षा पास नहीं करते हैं तो आधा वेतन तब तक नहीं दिया जायेगा जब तक कि परीक्षा पास न कर लें। 1914–1915 ई0 में पदों और शब्दों का शुद्ध देवनागरी लिपि में प्रयोग किया तथा अपनी प्राचीन परम्परा के अनुसार राजकीय पदों के नाम, मार्गो के नाम व भवनों के नाम हिन्दी में रखे। जैसे, पदों के – सुमन्त, सिद्धार्थ, धर्मराज व जयन्त। मार्गों के – रघु मार्ग, मनु मार्ग। भवनों के – भक्त निकेतन, प्रेमकुंज आदि। इस प्रकार उन्होंने हिन्दी भाषा के विकास में योगदान दिया।

महाराजा जयसिंह द्वारा धार्मिक शिक्षा को भी महत्व दिया गया। वे सर्वधर्म–समभाव के हिमायती थे। अलवर रियासत में हिन्दुओं को हिन्दू धर्म व मुसलमानों को इस्लाम धर्म की शिक्षा प्रदान की गई। जयसिंह ने न केवल अपनी रियासत में ही इस तरह की शिक्षा पर जोर दिया साथ ही भारत सरकार पर भी इस बात पर जोर डाला

कि भारतीय विश्वविद्यालयों में भी उचित धार्मिक शिक्षा का प्रबन्ध होना चाहिए। इसी भावना से प्रेरित होकर महाराज ने बिना किसी धार्मिक भेदभाव के अलीगढ़ विश्वविद्यालय को 25,000 रूपये एवं 8,000 रूपये सालाना 5 वर्षों के लिए धार्मिक व आध्यात्मिक शिक्षा के प्रबन्ध के लिए स्वीकार किये। महाराजा जयसिंह पहली बार मालवीय जी के साथ जयपुर रियासत गये थे। उनके कहने पर तत्कालीन जयपुर महाराज माधोसिंह ने उन्हें 6 लाख रूपये दिये थे, किन्तु महाराजा जयसिंह की धार्मिक शिक्षा नीति का शिक्षण संस्थाओं में गलत ढंग से व्यवहार प्रारम्भ हो गया। 21 दिसम्बर 1924 में राजकीय दौरे के समय महाराज जयसिंह ने अनुभव किया कि निजी स्कूलों में मजहबी शिक्षा सही दी जाती थी। इस पर 1925 ई0 में एक कॉफ्रेंस बुलाई गई जिसमें तय किया गया कि रियासती स्कूलों में मजहबी शिक्षा का इन्तजाम किया जाये। यह भी स्पष्ट कर दिया गया था कि इन स्कूलों में उस भाषा की भी शिक्षा अवश्य दी जायें, जिसमें रियासत में काम किया जाता था।

जय सिंह ने शिक्षा के विकास को ध्यान में रखकर 1919 में राज्य में सभी जातियों के लिए शिक्षा निःशुल्क कर दी। अपराधी जनजातियों के बच्चों को भी अनिवार्य शिक्षा दी जाती थी। लड़कियों की शिक्षा को भी महत्व दिया गया। उस समय लड़कियों के दो स्कूल खोले गये जिसमें कढ़ाई, बुनाई की निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी। जयसिंह के ये सुधार उनकी सामाजिक प्रगति की नीति के सूचक है। जयसिंह ने सेना के संगठन को मजबूत करने के उद्देश्य से सैनिक शिक्षा को भी प्रारम्भ कर दिया था। शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए छात्रवृत्तियाँ दी जाती थी। इस तरह अलवर रियासत का शैक्षणिक स्तर ऊँचा उठाकर उसमें सामाजिक व राजनीतिक चेतना पैदा करने का कार्य अलवर के शासक जय सिंह द्वारा किया गया।

सामाजिक एवं धार्मिक जागृति

भारत में सामाजिक व धार्मिक क्षेत्र में जनजागृति लाने का प्रमुख श्रेय राजा राममोहन राय, स्वामी विवेकानन्द, स्वामी दयानन्द सरस्वती आदि सुधारकों को दिया जाता है। जिसका प्रभाव राजपूताना की रियासतों पर भी पड़ा, किन्तु अलवर राज्य में समाज सुधार आन्दोलन को व्यावहारिक रूप देने में जयसिंह ने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। उन्होंने नारी शिक्षा को प्रोत्साहन देते हुए बाल–विवाह व वृद्ध विवाह पर पाबन्दी लगा दी। राज्य में लड़कियों की विवाह की उम्र 12 साल और लड़कों की उम्र 18 वर्ष कर दी गई। महाराजा जयसिंह ने भारत सरकार के शारदा एक्ट बनाने से पूर्व ही बाल विवाह पर पाबन्दी लगा दी थी। उन्होंने 1924 में एक कानून बनाकर शादी ब्याह और मृत्यु भोज के खर्चे पर रोक लगा दी, साथ ही ओसर–मोसर भी बन्द कर दिये थे। ऐसे अवसरों पर 12 ब्राहम्णों से ज्यादा को भोजन खिलाना बन्द कर दिया। यह नियम राजघरानों पर भी कड़ाई से लागू किया गया। इस तरह की पाबन्दी से जयसिंह जनता को आर्थिक कष्टों से बचाना चाहते थे ताकि समाज उन्नति की ओर अग्रसर हो सके।

उनके द्वारा समाज में मादक पदार्थों पर भी पाबन्दी लगा दी गई। उन्होंने अंग्रेजों से एक समझौता किया जिसके आधार पर मादक पदार्थों (भांग, गांजा और अफीम) के राज्य से बाहर निकास पर रोक लगा दी गई थी। साथ ही मादक पदार्थों पर कर लगाया गया तथा 18 वर्ष से कम आयु वालों को सिगरेट पीने की निषेध आज्ञा जारी की गई। समाज में शान्ति स्थापित रखने के उद्देश्य से जयसिंह ने अलवर राज्य में ''कनवर्शन धर्म परिवर्तन एक्ट'' बनाया। इस एक्ट के द्वारा जिन नाबालिग लड़के व लड़कियों का धर्म परिवर्तन कर दिया जाता था। उनको कानून की तरफ से गलत माना जायेगा। 21 वर्ष का लड़का एवं लड़की अपनी स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन कर सकते थे। जयसिंह की धार्मिक प्रवृति में 1904 के बाद ओर निखार आया जिसका श्रेय उनके गुरू हंसा स्वरूपजी को दिया जा सकता हैं।

अलवर के इतिहासकार पिनाकी लाल जोशी ने अपने ग्रन्थ में लिखा था कि 27 जून, 1922 को जयसिंह ने एक मिशनरी विलसन को आबू में राजपूताना क्लब में हिन्दू धर्म की आलोचना करने पर हिन्दू धर्म पुराण के बारे में

प्रभावशाली भाषण देकर प्रभावित किया। 1928 में अपने शासन के रजत महोत्सव के अवसर पर महाराजा जयसिंह ने 17 जनवरी, 1929 को विष्णु महायज्ञ किया। इस अवसर पर जगद्गुरू शंकराचार्य स्वामीजी भी आये। शंकराचार्य ने जयसिंह के ज्ञान एवं सत्यधर्म आन्दोलन को देखकर उन्हें ''राजर्षि'' की पदवी प्रदान की। इसी प्रकार 1930 में गोलमेज सम्मेलन में जाने से पहले महाराज ने एक बड़ी सभा का आयोजन किया जिसमें झालावाड़ नरेश भी सम्मिलित हुए। 1932–33 में मेव आन्दोलन के समय जयसिंह पर साम्प्रदायिक दंगे भड़काने का आरोप लगाया जाता है। साथ ही उन्हें एक साम्प्रदायिक दृष्टि वाला शासक माना जाने का भ्रम है। जबकि वास्तविकता यह नहीं है। 1936 ई0 के नवज्योति समाचार पत्र में लिखा था कि, ''द्वितीय गोलमेज परिषद में महाराजा अलवर ने कहा था कि साम्प्रदायिक समस्या की जड़ में हिन्दू और मुसलमान आज से चार सौ साल (400 वर्ष) पहले एक–दूसरे के धार्मिक कृत्यों का आदर करके सम्मिलित होते थे।'' नई व्यवस्था की पहली देन तो यही मिली कि सदियों के सम्बन्धों का अन्त हुआ। इस प्रकार जयसिंह ने समाज में जन चेतना (जागृति) के विकास में योगदान दिया।

प्रशासनिक सुधार

महाराज जयसिंह के प्रजा के साथ सम्बन्धों को लेकर विविध इतिहासकारों में मतभेद हैं कुछ इतिहासकार रामनारायण चौधरी आदि उन्हें निरंकुश शासक बताते है वही अनेक समकालीन विद्वान अक्षय कुमार रत्नू, किशनलाल धाबाई, उमरावलाल वकील आदि उनके द्वारा किये गये प्रशासनिक सुधारों को लेकर उनकी प्रशासनिक क्षमता की प्रशंसा करते है। महाराजा जयसिंह द्वारा प्रशासन के क्षेत्र में नये कानूनों का निर्माण, नगर पालिकाओं में सुधार, ग्राम पंचायतों की स्थापना, हाईकोर्ट की व्यवस्था, किसानों के लिए विशेष सुविधाएँ, कैदियों का आत्मोत्थान, सेना के साथ सहयोगात्मक रूख आदि कार्यों को दर्शाया जा सकता है।

महाराजा जयसिंह द्वारा ब्रिटिश सरकार के कानूनों के अतिरिक्त नये कानून बनाये गये। उन्होंने 100 के करीब नये कानूनों की स्थापना की जिससे राज्य की व्यवस्था ओर अच्छी हो सकें, साथ ही प्रजा में अमन चैन की स्थापना हो। उनके द्वारा बनाये गये प्रमुख कानूनों में आखेट नियम, विवाह नियम, खाद्व पदार्थों सम्बन्धी एक्ट, मृतक भोज, सिगरेट पीने पर प्रतिबन्ध, पंचायत बोर्ड नियम, धर्म परिवर्तन एक्ट आदि प्रमुख रहे। इनके काल में 1928 तक 31 निजामतों में नगर पालिकाओं की स्थापना हुई। इस सम्बन्ध में डायरेक्टरी ऑफ अलवर स्टेट में लिखा है कि, ''1919 तक जयसिंह ने राज्य की सभी निजामतों व कस्बों में नगर पालिकाओं की स्थापना की। इस प्रकार उन्होंने राज्य की सफाई व्यवस्था में सुधार करने का भी प्रयास किया वहीं गांवों में जागृति लाने के लिये उन्होंने ग्राम पंचायतों की भी स्थापना की। उनके द्वारा 1920 में स्थापित ग्राम पंचायतों की संख्या 50 थी जो धीरे–धीरे बढ़कर 150 हो गई। महाराज जयसिंह की इच्छा थी कि जनता आत्मनिर्भर हो एवं उनमें प्रशासनिक जागृति विकसित हो जिससे राजनीतिक चेतना का विकास हो सके। उनकी विचारधारा प्राचीन काल की पंचायतों से भी ज्यादा प्रगतिशील थी। उन्होंने पंचातयों को दीवानी व फौजदारी अधिकार दिये साथ ही 1924 में न्याय व्यवस्था को व्यवस्थापिका से अलग कर स्वतन्त्र इकाई बना दी गई तथा 1928 में हाईकोर्ट की स्थापना की गई। महाराज जयसिंह ने किसानों की स्थिति में सुधार एवं अन्य सुख–सुविधाओं की वृद्धि के लिए किसानों के लिए उचित सिंचाई व्यवस्था का भी बन्दोबस्त किया। उनके द्वारा लगभग 50 लाख रूपये खर्च कर जयसमन्द, मंगलसर, मानसरोवर आदि बांध बनवाये गये। वहीं सूअरों के शिकार पर रोक लगाकर किसानों की फसलों को बहुत नुकसान से बचाया तथा आखेट के लिये लाईसेन्स लेना अनिवार्य कर दिया गया। कृषकों को इन सूअरों को मारने की अनुमति दे दी गई। जयसिंह द्वारा किये गये सुधारों के संबंध में लार्ड चेम्सफोर्ड ने कहा था कि, ''अलवर का शासन प्रबन्ध तो उत्तम है, प्रजा की प्रसन्नता तथा सांत्वना और भी बड़ी बात है, जिस पर अलवर नरेश का पूरा ध्यान है। महाराजा ने बांधों के निर्माण कार्य द्वारा भूमि को सुजला और शस्य श्यामल बनाने का जो प्रयत्न किया है उसमें अकाल का भय न रहेगा और कृषक प्रजा सुखी रहेगी। महाराज जयसिंह द्वारा

अपराधियों के लिए जेल में धार्मिक शिक्षा देने के साथ–साथ उनके साथ अच्छा व्यवहार भी किया जाता था। साथ ही उनके लिए कुटीर उद्योग सम्बन्धी प्रशिक्षण की व्यवस्था का भी बन्दोबस्त किया गया था। महाराजा जयसिंह का अपनी सेना के प्रति प्रेम काफी गहरा था। जब जयपलटन के सैनिक मिश्र व पैलेस्टाईन युद्ध करके 27 जनवरी, 1919 को लौटकर आये तब जयसिंह उनके स्वागत के लिए गये। उन्होंने हिन्दी में उनकी प्रशंसा कर भाषण दिया एवं जयपलटन तक उन सभी सैनिकों के साथ पैदल चलकर आये। यद्यपि उस समय वर्षा हो रही थी। वहीं अलवर रियासत की सेना का नवीनीकरण करके उसका नाम ''अलवर रियासती सेना'' कर दिया। इस प्रकार जयसिंह द्वारा राज्य की जनता के उत्थान के लिए प्रशासनिक क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण कार्य किये गये। जो अलवर राज्य के नवीनीकरण के साथ–साथ राजस्थान के आधुनिकीकरण में भी सहायक हुए। इस प्रकार महाराज जयसिंह ने अलवर राज्य में नवजागृति प्रारम्भ करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

***शोधार्थी,**
इतिहास विभाग,
राजस्थान विश्वविद्यालय,
जयपुर (राज.)

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. पिनाकी लाल, हस्तलिखित पुस्तक, अलवर का इतिहास, भाग–तृतीय, पृ. 151 से 154
2. कौल राजकुमारी, राजस्थान के राजघरानों की हिन्दी सेवा, पृ. 223
3. फा.नं. ए–29(1937), जयसिंह की सिल्वर जुबली पर लिखी गई पुस्तक, पृ–7 – रा.रा. अभि. अलवर
4. फा.नं. उपरोक्त, पृ. 369
5. वीर अर्जुन, 28 अप्रेल, 1934, न्यूज पेपर कटिंग्स फा.11, रा.रा. अभि., बीकानेर
6. गौर डी.डी., कांस्टीट्यूशनल डवलपमेन्ट ऑफ इस्टर्न राजपूताना स्टेटस, पृ–77
7. फा.नं. 226 जे/23(92), पृ. 17, रा.रा.अभि., अलवर
8. शर्मा योगेशचन्द्र, राजर्षि, अलवरेन्द्र, पृ. 23
9. डायरेक्ट्ररी ऑफ अलवर स्टेट, पृ. 21
10. मायाराम, राजस्थान डिस्ट्रिक्ट गजेटियर, अलवर, पृ. 412
11. फां.नं. ए–29, ए ब्रीफ सनोपसेन, पृ–9, रा.रा.अभि. अलवर
12. मायाराम, राजस्थान डिस्ट्रिक्ट गजेटियर, अलवर पृ. 412
13 शर्मा योगेशचन्द्र, राजर्षि अलवरेन्द्र, पृ–8
14 गहलोत जगदीश सिंह, कछवाहों का इतिहास, पृ. 289
15 एच.सी. अलवर एण्ड दी ग्रेट वार 1914–18, पृ.14, रा.रा.अभि., बीकानेर